



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30237 वर्ष 2026

मोहन यादव उर्फ ऋषभ यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : दीपेश कुमार, रवि पांडे, सूरज पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रवि पाण्डेय तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I श्री विजय कुमार को सुना गया।
3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 229 सन् 2026, धारा 191(2), 191(3), 331(8), 103(1)/3(5) बी.एन.एस., थाना हरदुआगंज, जनपद अलीगढ़ में विचारण लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, किंतु विवेचना के दौरान जब नामजद सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव का बयान दर्ज किया गया, तब उसने आवेदक का नाम प्रकट किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव के बयान के पश्चात विवेचनाधिकारी ने सी.सी.टी.वी. फुटेज भी प्राप्त की और उसके अनुसार घटना की तिथि को आवेदक दो अन्य व्यक्तियों के साथ एक दोपहिया वाहन पर जा रहा था तथा उसके दोपहिया वाहन के साथ सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव भी एक अन्य दोपहिया वाहन पर जा रहा था और उपर्युक्त साक्ष्य के अतिरिक्त आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने कथित अपराध में सहभागिता की थी।

6. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दो मामले भी शामिल हैं, किंतु उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन में दिया गया है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दोनों मामलों में आवेदक जमानत पर है।

7. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्थानीय पुलिस आवेदक के प्रति अत्यधिक शत्रुतापूर्ण है और पूर्व में भी पुलिस ने उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम के मामलों में फंसाया था तथा इस बार भी विवेचना के दौरान पुलिस ने उसे हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 10.07.2026 से जेल में है।

8. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 10.07.2026 से ही जेल में है, किंतु इस तथ्य का खंडन नहीं कर सके कि विवेचना के पश्चात आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। विद्वान ए.जी.ए. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत अन्य तर्कों का भी खंडन नहीं कर सके।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

10. यद्यपि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 10.07.2026 से ही जेल में है, किंतु यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के पश्चात विवेचनाधिकारी ने आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

आगे, जहां तक मामले के गुण-दोष का संबंध है, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



था और विवेचना के दौरान उसे सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव के बयान के माध्यम से अभियुक्त बनाया गया है, जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में था।

11. आगे, सह-अभियुक्त के बयान तथा पुलिस के समक्ष आवेदक के संस्वीकृतिपूर्ण बयान के अतिरिक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज भी है और सी.सी.टी.वी. फुटेज से यह परिलक्षित होता है कि घटना की तिथि को आवेदक दो अन्य व्यक्तियों के साथ दोपहिया वाहन पर जा रहा था और उसके दोपहिया वाहन के साथ एक अन्य दोपहिया वाहन भी था, जिस पर नामजद सह-अभियुक्त योगेंद्र यादव दो अन्य व्यक्तियों के साथ बैठा था।

12. यह परिलक्षित होता है कि उपर्युक्त साक्ष्यों के अतिरिक्त अभिलेख पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है। आवेदक के विरुद्ध अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता कि केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक वर्तमान अपराध में संलिप्त था।

13. आगे, आवेदक का तीन अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसमें एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दो मामले भी शामिल हैं, किंतु उसके आपराधिक इतिहास का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन में दिया गया है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम के दोनों मामलों में आवेदक जमानत पर है।

14. आवेदक के पूर्व आपराधिक इतिहास तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में विवेचना के दौरान आवेदक को अभियुक्त बनाया गया है, उसके झूठे फंसाए जाने के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क को इस स्तर पर पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता।

15. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

16. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. आवेदक-मोहन यादव उर्फ ऋषभ यादव को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख किया जा सके अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

18. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन पक्ष इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

31 अगस्त, 2026

ए.के. पाण्डेय

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।